न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 25/2012

बउनवान

1. कन्याबाई पुत्री गोपाल जी पत्नि श्री बद्रीलाल जाति मेघवाल निवासी गांधी कॉलोनी, बारां
2. संतोष पुत्री गोपाल जी पत्नि श्री रामदयाल जाति मेघवाल निवासी सीसवाली रोड़, अन्ता
3. मोहनी पुत्री गोपाल जी पत्नि गोपाल जाति बैरवा निवासी खानपुर

(अपीलांट)

बनाम

1. रामकल्याण
2. हरिशंकर
3. द्वारकालाल (मृतक) पुत्रगण गोपाल मेघवाल निवासी कलमण्डा

3/1. मोहनी पत्नि बेवा द्वारकालाल मेघवाल निवासी कलमण्डा
3/2. जीतेन्द्र पुत्र द्वारकालाल मेघवाल निवासी कलमण्डा
3/3. मुकेशी पुत्री द्वारकालाल मेघवाल निवासी कलमण्डा
3/4. हेमन्त पुत्र द्वारकालाल मेघवाल नि.कलमण्डा नाबालिग जर्ये वली माता मोहनीबाई
3/5. नीतू पुत्री द्वारकालाल मेघवाल निवासी कलमण्डा

4. मृतक रामनाथी पत्नि गोपाल मेघवाल
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

(रेंस्पोडेंटगण)

अपील विरूद्ध आदेश इन्तकाल नंबर 276 दिनांक 28.03.1992 तहसीलदार बारां

उपस्थिति :— 1. श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक **(अपीलांटागण)**
2. श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक **(रेस्पो. कम–1 व 2)**

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.04.08 10:44:16 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 21.[illegible]

अपीलांटागण द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कलमण्डा तह0 बारां में स्थित कुल किता 11 रकबा 5.12 है. आराजी के खातेदार श्री गोपाल जी पुत्र स्व0 श्री परश्या जाति मेघवाल थे, जो अपीलांटागण एवं रेस्पो. कम 1 ता 3 के पिता एवं रेस्पो. कम 4 के पति थे। श्री गोपाल जी का इन्तकाल होने पर उनकी मृत्यु उपरांत रेस्पो. कम 5 द्वारा इन्तकाल नंबर 27 दिनांक 28.03.1992 से रेस्पो. कम 1 ता 4 के नाम से फौती इन्तकाल तस्दीक कर दिया जबकि हल्का पटवारी द्वारा इन्तकाल की पुश्त पर मृतक गोपाल जी के परिवार का सजरा अंकित किया हुआ है। अपीलांटागण

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

मृतक गोपाल जी की पुत्रियां उनकी वारिस व कायम मुकाम होने से मृतक गोपाल जी की उत्तराधिकारी हैं तथा विरासत में उक्त आराजी पर कानूनन खातेदारी अधिकार दर्ज कराने की अधिकारी हैं। रेस्पो. क्रम 1 ता 4 ने रेस्पो. क्रम 5 से मिलकर अपीलांटागण को खातेदारी अधिकार से वंचित करने के उद्देश्य से षड़यंत्रपूर्वक उक्त फौती इन्तकाल में उनका नाम अंकित नहीं किया है और उन्हे खातेदारी अधिकार से वंचित कर दिया साथ ही रेस्पो. क्रम 1 ता 4 ने षड़यंत्रपूर्वक उक्त आराजी को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया बारां को रहन रखकर लोन ले लिया। अपीलांटागण दिनांक 10.10.2012 को अपने पीहर गयी हुई थी बैंक का अधिकारी उक्त आराजी को कुर्क करने पहुंचा तब अपीलांटागण को उक्त आराजी की नकल लेने पर पता लगा कि रेस्पोडेंटगण ने उनके नाम इन्तकाल दर्ज नही होने दिया। अतः निवेदन है कि इन्तकाल संख्या 276 किता 11 रकबा 5.12 है. ग्राम कलमण्डा निरस्त फरमावें एवं मृतक गोपाल जी के समस्त वारिसान के नाम फौती इन्तकाल दर्ज करने हेतु निर्देशित फरमावें।

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपोडेन्टगण को तलब किया गया। रेस्पो0 क्रम 1 व 2 जर्ये अभिभाषकगण उपस्थित हुए। रेस्पो. क्रम 3/1 ता 3/5 की ओर से अभिभाषक रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 द्वारा अण्डरटेकिंग पेश कर वकालतनामा पेश करने हेतु समय चाहा परन्तु आदिनांक तक वकालतनामा पेश नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण अपीलांटा एवं रेस्पो0 क्रम 1 व 2 की सुनी। तथा रेस्पोडेंटगण क्रम 3/1 ता 3/5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर अभिभाषक अपीलांटागण को सुना गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। दौराने बहस वकील अपीलांटागण ने अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटागण के पिता गोपाल वल्द परश्या जाति मेघवाल निवासी कलमण्डा के खाते की ग्राम कलमण्डा की आराजी किता 11 रकबा 5.12 है. में अपीलांटागण का जन्म से ही हिस्सा स्थित होने के पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटागण के पिता की मृत्यु के बाद खोले गये नामान्तरण संख्या 276 निर्णय दिनांक 28.03.1992 द्वारा अपीलांटागण को उनके अधिकार से, पटवारी हल्का द्वारा नामांतरकरण की पुश्त पर अंकित परिवार के सजरे की अनदेखी करते हुए, वंचित कर दिया। अपीलांटागण का पुश्तैनी आराजीयात में जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। अतः अपीलांटागण की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम कलमण्डा का नामांतरण संख्या 276 दिनांक 28.03.1992 निरस्त किया जाकर अपीलांटागण का नाम सम्मिलित करते हुए पुनः नये सिरे से इंतकाल खोले जाने का आदेश फरमावें।

जिला कलक्टर बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पो० क्रम 1 व 2 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला जाकर स्वीकार किया गया नामान्तरण संख्या 276 दिनांक 28.03.1992 पूर्ण रूप से वैद्य है। अतः अपील खारिज फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.04.08 10:44:16 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। गोपाल पुत्र परश्या जाति मेघवाल के फोत होने पर विवादित आराजीयात का समस्त वारिसान के हक में नामान्तरकरण नहीं खोला जाकर सिर्फ उसके पुत्रों व उसकी पत्नि के नाम से विवादित नामान्तरकरण संख्या 276 खोला गया है। जबकि पिता की सम्पत्ति में सभी वारिसान का समान हक व हिस्सा निहित होता है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलांटागण स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है। अतः अपील अपीलांटागण स्वीकार की जाकर ग्राम कलमण्डा का नामांतरण संख्या 276 दिनांक 28.03.1992 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ तहसीलदार बारां को प्रति प्रेषित किया जाता है कि मृतक गोपाल वल्द परश्या जाति मेघवाल निवासी कलमण्डा के समस्त वारिसान की जांच कर पुनः नये सिरे से समस्त वारिसान के हक में नामांतरकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.04.08 10:44:16 IST
Reason: SelfAttested